

# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

मुख्यालय जयपुर - 302001

क्रमांक:- मु0/वित्त/भु-1/2023/582


दिनांक- 8/2/23

## कार्यालय आदेश

MACT प्रकरणों में देय भुगतान में शामिल ब्याज पर आयकर नियमों के अनुसार (TDS) आयकर की कटौती की जाती है। भुगतान के समय दावेदार द्वारा यदि पैन नं उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आयकर राशि कटौती 20 प्रतिशत की दर से की जाकर भुगतान किया जाता है।

यदि दावेदार द्वारा भुगतान के पश्चात् पैन नं उपलब्ध कराया जाता है तो आयकर विभाग में कटौती को पैन नं अपडेट करने का शुल्क राशि रुपये 350+18 प्रतिशत GST = 413/-रु. का भुगतान निगम द्वारा कर सलाहकार को किया जाता है।

अतः पैन नं अपडेटसु शुल्क राशि रुपये 350+18 प्रतिशत GST = 413/-रु. सम्बन्धित दावेदार से वसूल करने के आदेश जारी किये जाते हैं।


  
**NATHMAL DIDEL**  
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक:- मु0/वित्त/भु-1/2023/582

दिनांक- 8/2/23

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक(प्रशा/याता/विधि/यांत्रिक), रापनि, मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, रापनि, मुख्यालय जयपुर।
4. ~~समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक(.....II.....), रापनि, मुख्यालय जयपुर।~~
5. समस्त जोनल मैनेजर, रापनि,..... मुख्यालय जयपुर।
6. समस्त मुख्य प्रबन्धक/मुख्य उत्पादन प्रबन्धक.....।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

  
वित्तीय सलाहकार